भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3271

उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

पीएमईजीपी के तहत सहायता

3271. **श्री के.सी. वेणुगोपालः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में स्थगन अवधि के लिए कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि यह पहली पीढ़ी के उद्यमियों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देता है, जिसके कारण कुछ मामलों में प्रारंभिक रुग्णता देखी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केरल की राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आवेदनों की संख्या कितनी है तथा इसी अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितने मामलों को मंजूरी दी गई है; और

(ग) सरकार की योजना शेष आवेदनों को कब तक स्वीकृत करने की है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत, भावी लाभार्थियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर, कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के राज्य कार्यालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्र तथा कयर बोर्ड (कयर से संबंधित क्रियाकलापों के लिए) आवेदनों की जांच करते हैं तथा वित्तपोषक बैंकों को सिफारिश करते हैं। बैंक ऋण संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं और प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर ऋण स्वीकृत करते हैं। ऋण के लिए पुनर्भुगतान की समय-सीमा प्रारंभिक स्थगन के बाद 3 से 7 वर्षों के बीच हो सकती है, जैसा कि संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा निर्धारित किया गया हो।

केरल राज्य में, पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भावी लाभार्थियों से प्राप्त 37,272 आवेदन बैंकों को भेजे गए तथा बैंकों द्वारा 20,698 आवेदन स्वीकृत किए गए।

*****